This guidance was withdrawn on 1 April 2022

The information in this guidance has been superseded by Infection prevention and control in adult social care: COVID-19 supplement.

Department
of Health &
Social Care

कोविड-19 के प्रति प्रतिक्रिया

वयस्क सोशल केयर के लिए नैतिक फ्रेमवर्क

12/03/2020

विषय वस्तु

भूमिका....2
इस फ्रेमवर्क को कैसे उपयोग करें....3
मान्यताएं और सिद्धांत....4
1. सम्मान....4
2. तर्कसंगतता....5
3. नुकसान कम करना....5
4. समावेश....6
5. जवाबदेही....7
6. लचीलापन....8
7. आनुपातिकता....8
8. समुदाय....9

भूमिका

साल 2019 के दिसंबर महीने में शुरू हुए वर्तमान नॉवेल कोरोनावायरस (कोविड-19) प्रकोप का यूके में स्वास्थ्य और केयर सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। जैसा कि साल 2020 के 3 मार्च को प्रकाशित कोरोनावायरस कार्य योजना में बताया गया था, यूके के स्वास्थ्य और सोशल केयर सिस्टमों ने कई सालों से बड़े पैमाने पर एक संभाव्य महामारी के लिए योजना बनाई है और जनता को महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए वे अपने आप में अच्छी तरह से तैयार हैं। यह बात तो जाहिर है कि, इसके बारे में हमारे ज्ञान के बढ़ने के साथ-साथ कोविड-19 के प्रति सटीक प्रतिक्रिया उस जोखिम के प्रकार, पैमाने और स्थान के अनुरूप होगी।

स्थानीय अधिकारियों और विस्तृत स्वास्थ्य और केयर कार्यबल को हर रोज़ कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन, जैसे-जैसे कोविड-19 विकसित होता है वैसे-वैसे उसके लिए योजना बनाने और सही कदम उठाने के समय निस्संदेह हमें सीमित समय, संसाधन या जानकारी के कारण नए और असाधारण दबावों के तहत कठिन निर्णय लेने होंगे। यह निर्णय व्यक्तिगत, हमारे परिवारों, केयरर और समुदायों से संबंधित हो सकते हैं, या फिर शायद हमारे स्वास्थ्य और केयर सेवाओं के व्यवस्थापन और वितरण पर इनका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। मौजूदा समय में जारी और लागू होने वाले कानून और सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, और साथ ही सांविधिक दायित्वों और पेशेवर जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए निर्णय लेने होंगे।

इस फ्रेमवर्क का आशय है जारी प्रतिक्रिया योजना और निर्णयन पद्धति को सहायता प्रदान करना ताकि निश्चित किया जा सके कि वयस्कों के लिए सोशल केयर की व्यवस्थापना और वितरण संबंधी निर्णय लेने के दौरान कई सारी नैतिक मान्यताओं और सिद्धांतों पर पर्याप्त रूप से सोच विचार किया जाए। बढ़ते हुए दबावों और प्रत्याशित मांग को पहचानते हुए, सबसे आवश्यक क्षेत्रों तक संसाधनों को कैसे पुनर्निर्देशिर किया जाना चाहिए और व्यक्तिगत केयर संबंधी जरूरतों को किस प्रकार से प्राथमिकता दी जानी चाहिए उसके बारे में चुनौतीपूर्ण निर्णय लेना शायद आवश्यक बन सकता है। इस फ्रेमवर्क का आशय है इन प्रकार के निर्णयों के लिए एक मार्गदर्शिका बनना और इस बात पर जोर डालना कि निर्णयन पद्धति के दौरान उन निर्णयों से जुड़े संभाव्य नुकसानों, और सभी लोगों की जरूरतों पर गौर करना अत्यंत जरूरी है। सभी व्यक्तियों, उनके परिवारों एवं केयरर, और समुदायों एवं साथ ही हमारी सेवाओं और उद्देश्यों के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए हम जिन पेशेवरों और वालंटियरों पर निर्भर करेंगे उन सभी पर उचित रूप से गौर किया जाना चाहिए और उन्हें उचित मान दिया जाना चाहिए।

चूंकि प्रकोप पूरे समाज को प्रभावित करता है इसलिए, जारी और भावी प्रतिक्रिया को समर्थित करने में सभी की अपनी भूमिका होगी। यह बहुत जरूरी है कि पेशेवर, संगठन और सरकारी एजेंसियाँ एक साथ मिल कर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर काम करें, और योजना आयोजन और प्रतिक्रिया संबंधी गतिविधियाँ सभी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर आपस में सुसंगत हों। लिए गए निर्णय और उनके पीछे छिपे औचित्य के बारे में उचित रिकार्ड रखे जाने चाहिए ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके और प्रकोप के बदलने और विकसित होने के साथ-साथ हम दूसरों के साथ हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी को साझा कर सकें।

यह दस्तावेज उस नैतिक फ्रेमवर्क से अनुकूलित और पुनर्गठित है जिसे पहली बार साल 2007 में कमिटी ऑन एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ़ पैनडेमिक इन्फ्लुएंजा द्वारा विकसित किया गया था और जिसे बाद में साल 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर द्वारा संशोधित किया गया था।

इस फ्रेमवर्क को कैसे उपयोग करें

यह फ्रेमवर्क स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर योजनाकारों और रणनीतिक नीति निर्माताओं के प्रति लक्षित है ताकि कोविड-19 के दौरान और इसके बदलने और विकसित होने के साथ-साथ प्रतिक्रिया योजना और वयस्क सोशल केयर की व्यवस्थापना को समर्थित किया जा सके। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और सोशल केयर कार्यबल में कार्यरत उन पेशेवरों के काम को भी समर्थित करना है जो अपने खुद की पेशेवर आचार संहिता और विनियमों के अनुसार नीतियाँ विकसित कर रहे हैं और प्रकोप के प्रति प्रतिक्रिया विकसित कर रहे हैं। इन सिद्धांतों को सोशल केयर सेक्टर में अधिक व्यापक रूप से भी लागू किया जा सकता है।

सोशल केयर एक स्थानीय तौर पर चालित और वितरित सेवा है जो लोगों और उनके परिवारों, समुदायों और संस्कृतियों की व्यापक समझ पर निर्मित है। सोशल वर्कर, ऑकुपेशनल थेरपिस्ट और नर्सें इस मूलभूत पेशेवर समूह का हिस्सा हैं और उनके स्पष्ट दायित्व हैं और साथ ही उनके खुद के पेशेवर संहिताओं और दिशा-निर्देशों के अनुसार उन पर जवाबदेही का दायित्व भी है इस फ्रेमवर्क के प्रवर्तन और समझ को निश्चित करने में प्रधान सोशल वर्कर और प्रधान ऑकिपेशनल थेरेपिस्ट के जैसे स्थानीय पेशेवर लीडरों की एक मुख्य भूमिका होगी। इसलिए स्थानीय स्तर पर सहमत प्रक्रियाओं को विकसित करने और उनकी समीक्षा करने के लिए इन पेशेवरों के कौशलों का उपयोग किया जाना चाहिए।

यह तो जाहिर सी बात है कि, नैतिक विचारों के साथ-साथ हर निर्णय में व्यक्ति की भलाई, समग्र सार्वजनिक भलाई और उपलब्ध संसाधनों जैसे विषयों पर गौर किया जाना चाहिए। प्रधान पेशेवरों की राय, विभिन्न विषयों और संगठनों के सहयोग, और हरेक विशिष्ट परिस्थिति में उपलब्ध जानकारी की सीमा के साथ-साथ, यह मान्यताएं और सिद्धांत भी एक शुरूआती चरण है जो निर्णयन पद्धति की मार्गदर्शिका बन सकती है। यह नैतिक मान्यताएं और सिद्धांत एक समान रूप से उन लोगों के लिए भी प्रासंगिक हैं जिन्हें सोशल केयर की जरूरत है और जिनको अधिक असुरक्षित परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर वह लोग जिन्हें पहली बार सोशल केयर की जरूरत पड़ती है, और साथ ही स्वास्थ्य और सोशल केयर का कार्यबल भी इसमें शामिल है जिन्हें शायद कठिन निर्णय लेने के समय और कोविड-19 के दौरान एवं उसके बदलने और विकसित होने के साथ-साथ देखभाल और सहायता प्रदान करने के समय नए और अप्रत्याशित दायित्वों का सामना करना पड़ सकता है।

इस फ्रेमवर्क को एक चेकलिस्ट की तरह उपयोग करना शायद उपयोगी हो सकता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सभी नैतिक विषयों पर उचित रूप से सोच विचार किया जाए, लेकिन, इस दस्तावेज में वर्णित मान्यताएं और सिद्धांत संपूर्ण नहीं हैं। जरूरी और अनिश्चित परिस्थितियों में नैतिक मान्यताओं और सिद्धांतों को कार्यांवित करने के समय, आपको शायद उनके बीच तनाव की परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है और ऐसी परिस्थिति में निर्णय लेने के लिए यह निर्दिष्ट करना होगा कि प्रत्येक निर्णय के प्रसंग में उस विशिष्ट मान्यता या सिद्धांत को किस हद तक लागू किया जा सकता है। सभी परिस्थितियों में, सम्मान और तर्कसंगतता को ही मूलभूत, बुनियादी सिद्धांतों के तौर पर उपयोग किया जाना चाहिए जिनके आधार पर फिर आगे चल कर योजना और सहायता संबंधी निर्णय लिए जाएंगे।

मान्यताएं और सिद्धांत

इस भाग में प्रत्येक नैतिक मान्यता और सिद्धांत और साथ ही उन पर गौर करने और कार्यांवयन के समय उनसे संबंधित गतिविधियों और सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों का उल्लेख प्रदान किया गया है। इनके साथ-साथ पेशेवर आचार संहिता और सबसे नवीनतम सरकारी दिशा-निर्देशों और कानूनों पर गौर करना चाहिए जो बताते हैं कि यह कहाँ और कैसे लागू होते हैं। रेफरेंस को सहज बनाने के लिए इन सिद्धांतों को क्रमांकित किया गया है लेकिन इन्हें महत्व या संपूर्णता के आधार पर क्रमबद्ध नहीं किया गया है - सबसे सही या सबसे नैतिक निर्णय लेने के कोई निर्विवाद जवाब नहीं हैं।

जब संसाधन सीमित हों और मांग में कई गुना अधिक बढ़ोतरी हो तो शायद सभी सिद्धांतों या उनसे सबंधित सभी गतिविधियों पर गौर करना शायद संभव या साध्य न हो। प्रत्येक परिस्थिति के प्रसंग में प्रत्येक सिद्धांत पर जिस हद तक संभव हो गौर किया जाना चाहिए और साथ ही उसमें उचित जोखिम प्रबंधन शामिल होना चाहिए एवं व्यक्तिगत भलाई, समग्र सार्वजनिक भलाई और उपलब्ध जानकारी और संसाधनों पर भी सोच विचार किया जाना चाहिए।

1. सम्मान

इस सिद्धांत की परिभाषानुसार यह समझना जरूरी है कि हरेक व्यक्ति और उनके मानवाधिकार, व्यक्तिगत चयन, सुरक्षा और गरिमा का महत्व है।

लोगों के साथ सम्मान सहित व्यवहार किया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए, निर्णय लेने वाले लोगों को अवश्य ही:

- लोगों को उन मामलों पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए जो उनकी देखभाल, सपोर्ट और चिकित्सा को प्रभावित करते हैं
- मौजूदा समय और भविष्य के लिए जुड़े निहितार्थों पर विचार करके और उन्हें सूचित करने के साथ-साथ जितना संभव हो लोगों के व्यक्तिगत चयनों का मान रखा जाना चाहिए
- जितना संभव हो लोगों को सूचित रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में क्या हो रहा है या आगे क्या होने की प्रत्याशा की जाती है
- जहाँ व्यक्ति के पास उचित क्षमता का अभाव हो (जैसा कि मेंटल कपैसिटी एक्ट में परिभाषित किया गया है) वहाँ सुनिश्चित करना चाहिए कि उस व्यक्ति के लिए जिम्मेदार या उनकी ओर से निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक कानूनी अधिकार युक्त लोगों ने उस व्यक्ति के हितों और सहायता संबंधी जरूरतों पर गौर किया है
- उपलब्ध संसाधनों के विषय को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को उनका हक मिले, और निश्चित करना चाहिए कि उचित निर्णय लिए जाएं और प्राथमिकता के आधार पर लिए गए किन्हीं भी निर्णयों के लिए स्पष्ट औचित्य हो।

2. तर्कसंगतता

परिभाषानुसार इस सिद्धांत का मतलब है यह सुनिश्चित करना कि निर्णय युक्तिसंगत, उचित, व्यावहारिक, उचित पद्धतियों, उपलब्ध प्रमाण और एक स्पष्ट औचित पर आधारित हों।

इस बात पर गौर करने के समय कि कोई निर्णय कितना तर्कसंगत है, निर्णय लेने वाले लोगों को अवश्य ही:

- सुनिश्चित करना चाहिए कि लिया गया निर्णय व्यावहारिक है और उसके काम करने की उचित संभावना है
- उस समय उपलब्ध प्रमाण और जानकारी के आधार पर निर्णय लेने चाहिए, और साथ ही उन ज्ञात जोखिमों और लाभों के बारे में सचेत रहना चाहिए जो शायद उत्पन्न हो सकते हैं
- वैकल्पिक विकल्पों और विचारधाराओं पर गौर करना चाहिए और साथ ही अलग-अलग संस्कृतियों और समुदायों से आने वाले विविध दृष्टिकोण के बारे में सचेत रहना चाहिए
- एक स्पष्ट, उचित निर्णय लेने की पद्धति का उपयोग करना चाहिए, जो उस निर्णय के लिए जाने के समय और प्रसंग के लिए उचित है और जहाँ योगदानों पर गंभीरतापूर्वक सोच विचार करने का मौका है

इस सिद्धांत के साथ-साथ प्रासंगिक समानता-संबंधी कानूनी और नीतिगत फ्रेमवर्क पर भी गौर किया जाना चाहिए हालांकि संसाधनों में कमी आ सकती है, फिर भी इस बात को हमेशा मद्देनज़र रखा जाना चाहिए कि एक समान जरूरतों वाले लोगों के पास उन जरूरतों को पूरा करने के समान अवसर होने चाहिए।

3. नुकसान कम करना

परिभाषानुसार, इस सिद्धांत का मतलब है प्रकोप के कारण व्यक्तियों और समुदायों को पहुँचने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान की मात्रा को कम करने की कोशिश करना। परिणामस्वरूप, इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि व्यक्तिगत संगठन और पूरा समाज इस परिस्थिति को अपनी क्षमतानुसार संभाल सके और इससे ऊपर उभर सके।

यह बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए जिम्मेदार लोग निम्नानुसार कोशिश करें:

- स्वीकारना और बताना कि प्रसार को कम करने के लिए सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी - उदाहरण के तौर पर, अच्छी तरह से हाथों को धोना या सामाजिक दूरी बरकरार रखना
- अगर कोई बीमार हो तो उस परिस्थिति में जटिलताओं के उत्पन्न होने के जोखिम को कम करना
- समुदायों और संगठनों में नियमित रूप से और सटीक अपडेट प्रदान करना
- कोविड-19 के बारे में हमारी जानकारी और समझ के विकसित होने के साथ-साथ उसके इलाज और उचित प्रतिक्रिया संबंधी स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक अनुभवों से मिली सीख को साझा करना

- केयर वर्कर और वालंटियरों को सक्षम बनाना ताकि वे सुविज्ञ निर्णय ले सकें जो आगे चल कर दुर्बल लोगों की सहायता करते हैं

4. समावेश

परिभाषानुसार, इस सिद्धांत का मतलब है सुनिश्चित करना कि लोगों को उचित मौका दिया जाए ताकि वे परिस्थितियों को समझ सकें, उन्हें प्रभावित करने वाले निर्णयों में शामिल हो सकें, और खुद की राय प्रदान कर सकें और जरूरी हो तो अपनी आवाज़ उठा सकें। परिणामस्वरूप, निर्णयों और कार्रवाइयों का उद्देश्य होना चाहिए यथासंभव असमानताओं को कम करना।

जिस हद तक संभव हो समावेश को सुनिश्चित करने के लिए, निर्णय लेने वाले लोगों को अवश्य ही:

- लोगों को योजना से जुड़े उन पहलुओं में शामिल करना चाहिए जो उन्हें, उनकी देखभाल और चिकित्सा, और उनके समुदायों को प्रभावित करते हैं
- परिवारों और केयरर्स को योजना से जुड़े उन पहलुओं में शामिल करना चाहिए जो उन्हें और उनके देखभाल में रहने वाले व्यक्ति को प्रभावित करती हैं
- सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी ख़ास व्यक्ति या ग्रूप (समूह) को शामिल होने से वर्जित न किया जाए
- ख़ास लोगों या समूहों पर किसी निर्णय के किन्हीं भी अनुपातहीन या असंगत प्रभावों पर गौर करना चाहिए
- अलग-अलग लोगों और समुदायों तक पहुँचने के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की संचार पद्धतियों और प्रारूपों का उपयोग करके सभी शामिल लोगों को उचित संचार प्रदान करना चाहिए
- जब दूसरों की तुलना में किसी व्यक्ति या समूह के साथ अलग रूप से व्यवहार करने का निर्णय लिया जाए तो उसके बारे में स्पष्ट रूप से बताएं और उसके लिए एक स्पष्ट औचित्य का होना भी जरूरी है जो दिखाता है कि ऐसा करना क्यों उचित होगा

जहाँ उचित हो, प्रासंगिक समानता-संबंधी कानूनी और नीतिगत फ्रेमवर्क के साथ-साथ उक्त विषयों पर गौर किया जाना चाहिए, जिसकी बिनाह पर फिर सुविज्ञ निर्णय लिए जा सकते हैं जो सुनिश्चित करेंगे कि संभवतः वंचित या प्रकोप के विकास के कारण वंचित हुए किन्हीं भी लोगों के लिए सेवा के उपयोग से जुड़ी विशिष्ट बाधाओं को जितना हो सके कम किया जाए।

5. जवाबदेही

परिभाषानुसार, इस सिद्धांत का मतलब है कैसे और कौनसे निर्णय लिए गए उसके लिए लोगों को और खुद को जवाबदार मानना। इसके लिए फिर, बहुत ही स्पष्ट रूप से बताने की जरूरत होगी कि निर्णय क्यों लिए गए और उन्हें लेने और सूचित करने के लिए कौन जिम्मेदार है।

निम्नलिखित के ज़रिए जिम्मेदारी का भार ग्रहण करने वाले लोगों का अपने निर्णयों और कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह होना अनिवार्य है:

- व्यक्तियों, उनके परिवारों और केयरर्स, एवं स्टाफ के प्रति उनकी जिम्मेदारियों और दायित्व की आवश्यकतानुसार प्रत्याशित परिणामों पर कार्रवाई करना और उन्हें प्रदान करना
- उस समय के आधिकारिक दिशा-निर्देशों, सांविधिक दायित्वों और पेशेवर विनियमों का पालन करना
- कैसे और कौन से निर्णय लेने की जरूरत है और उन्हें किस आधार पर लिया जाना चाहिए उसके बारे में सुस्पष्ट होना
- लिए गए निर्णय और उन्हें लेने के कारण का औचित्य स्थापित करने के लिए तैयार होना, और निश्चित करना कि उसके उचित रिकार्ड रखे जा रहे हैं
- दूसरों को समर्थित करना ताकि वे खुद के निर्णयों और कार्रवाइयों की जिम्मेदारी ले सकें

संगठनों के भीतर, इसका निम्नलिखित तात्पर्य भी है:

- पेशेवर भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निभाना जारी रखना, यदि न ऐसा न करने को उचित समझा जाए
- एक ऐसा परिवेश प्रदान करना जहाँ स्टाफ सुरक्षित, प्रभावी और सहयोगी रूप से काम कर सके, और प्रकोप के विकास के साथ-साथ जहाँ उनके स्वास्थ्य और सलामती को सुरक्षित रखा जाए।
- स्टाफ को उचित दिशा-निर्देश और सहायता प्रदान करना जिन्हें शायद उनके विशेषज्ञता के सामान्य क्षेत्र से बाहर काम करने के लिए कहा जा सकता है या जो उनकी कुछ दैनिक कार्रवाइयों को पूरा न कर पा रहे हों।
- प्रकोप के दौरान और उसके बाद नैतिक चुनौतियों को संभालने के लिए स्थानीय तौर पर सहमत पद्धतियों की व्यवस्थापना करना

6. लचीलापन

परिभाषानुसार, इस सिद्धांत का मतलब है परिवर्तित या नई परिस्थितियों के सम्मुख होने पर सक्रिय और सक्षम होना एवं उसके अनुकूल चलने के लिए राज़ी होना। यह बहुत जरूरी है कि तेज और सहयोगी रूप से काम करने की पद्धतियों को सहजतर बनाने के लिए इस सिद्धांत को स्वास्थ्य और केयर कार्यबल और व्यापक सेक्टर पर लागू किया जाना चाहिए।

लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए, निर्णयकर्ताओं को निम्नलिखित के लिए तैयार होना चाहिए:

- परिवर्तनों के उभरने के साथ-साथ उसके प्रति उचित प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए और उसके अनुकूल होना चाहिए - उदाहरण के तौर पर, सामने आई नई जानकारी या मांग के परिवर्तित स्तर
- सुनिश्चित करना कि योजनाओं और नीतियों में लचीलेपन और जहाँ आवश्यक हो वहाँ नवीनीकरण के लिए जगह हो
- उपलब्ध समय में जितना हो सके लोगों को उन निर्णयों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने का मौका देना जो उन्हें प्रभावित करते हैं
- सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य और केयर कार्यबल को समर्थित किया जा रहा है ताकि वे जितना संभव हो तेज और लचीले रूप से अलग-अलग क्षेत्रों और संगठनों में सहयोगपूर्ण रूप से काम कर सकें
- संगठनात्मक पद्धतियों, मानक दृष्टिकोण और संविदात्मक व्यवस्थाओं की समीक्षा करना जो इन उद्देश्यों में बाधा पैदा कर सकती हैं

7. आनुपातिकता

परिभाषानुसार, इस सिद्धांत का मतलब है वह सहायता प्रदान करना को लोगों, समुदायों और स्टाफ की जरूरतों एवं क्षमताओं, और साथ ही निर्णयन पद्धतियों द्वारा चिह्नित लाभों और जोखिमों के अनुरूप है।

आनुपातिकता के विषय पर गौर करने के समय, जिम्मेदार व्यक्तियों को निम्नानुसार करना चाहिए:

- जिस हद तक संभव हो देखभाल और सहायता संबंधी जरूरतों वाले लोगों की मदद करनी चाहिए
- सांविधिक या विशेष जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए उचित कदम उठाने चाहिए और साथ ही ऐसे किन्हीं भी दायित्वों पर नज़र रखनी चाहिए जिन्हें प्रकोप के विकास के साथ-साथ शायद संशोधित किया जा सकता है
- उन लोगों को सहायता प्रदान करनी चाहिए जिन पर दूसरों की देखभाल करने की अतिरिक्त या नई जिम्मेदारियाँ हैं
- उन लोगों को सहायता प्रदान करनी चाहिए जिन्हें वर्धित जोखिम या वर्धित कार्यभार उठाने को कहा जाता है, और साथ ही इन चीजों को यथासंभव कम करने की कोशिश करनी चाहिए

- स्टाफ के उन सदस्यों को उचित सहायता और संचार प्रदान करना चाहिए जो शायद अप्रत्याशित या नए दबावों का अनुभव कर सकते हैं

8. समुदाय

परिभाषानुसार, इस सिद्धांत का मतलब है एक प्रतिबद्धता कि हम सब मिल कर एक दूसरे की मदद करके और अपनी सर्वाधिक क्षमतानुसार हमारे समुदायों को सशक्त बनाकर इस प्रकोप को जरूर हराएंगे।

प्रकोप के प्रति प्रतिक्रिया में सभी शामिल लोगों की एक भूमिका होगा और सभी किसी न किसी तरीके से प्रभावित होंगे, एवं अतः उन्हें अवश्य ही:

- प्रकोप के लिए योजना बनाने, प्रतिक्रिया निर्धारित करने और उसे संभालने के लिए एक साथ मिल कर काम करना और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए
- हमारे नेटवर्क और समुदायों को समर्थित करना चाहिए ताकि वे उनकी प्रतिक्रिया को सशक्त बना सकें और उभरने वाली जरूरतों को पूरा कर सकें - उदाहरण के तौर पर, पड़ोसियों, दोस्तों और परिवार की मदद करना और एक दूसरे का ख़्याल रखना
- खुद के व्यवहार और निर्णय, और साथ ही दूसरों पर इसके संभाव्य प्रभाव के बारे में जागरूक होना चाहिए
- खुद के अनुभवों से मिली सीख को साझा करना चाहिए जो शायद दूसरों की मदद कर सके

© क्राउन कॉपीराइट 2020

GOV.UK पर केवल pdf प्रारूप में प्रकाशित।

[चीफ सोशल वर्कर का कार्यालय]

www.gov.uk/dhsc

इस प्रकाशन को ओपन गवर्नमेंट लाइसेंस संस्करण 3.0 के शर्तों के तहत लाइसेंस किया गया है, सिवाय जहाँ अन्यथा कहा गया है। इस लाइसेंस को देखने के लिए, nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 देखें

जहाँ हमने किसी तृतीय पक्ष की कापीराइट वाली जानकारी की पहचान की है वहाँ आपको संबंधित कापीराइट धारकों से अनुमति लेनी होगी।